

कार्यालय : प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

फोन/फैक्स : 01376-232077,

ई:मेल :

dfotehri_ua@rediffmail.com

पत्रांक : 368 / 12-1 नई टिहरी, दिनांक- 19/8/ 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:- Diversion of 0.908 ha of forest land for construction of Chamba Nagar (Re-organization) Pumping Drinking Water Supply Scheme. FP/UK/Water/41746/2019 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक:-88/12-1, दिनांक:-13-07-2020।

महोदय,

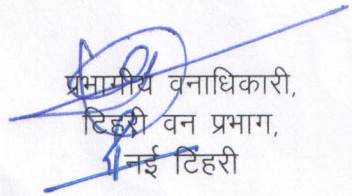
प्रश्नगत परियोजना निर्माण के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगाई गई है जिसका निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है:-

आपत्ति:- बिन्दु सं0-02 के क्रम में आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट-I के पैरा-B1 में अंकित प्रस्ताव चम्बा-मसूरी फलपट्टी पम्पिंग योजना है, जिसका प्रश्नगत प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रस्ताव का उल्लेख वर्तमान प्रस्ताव में क्यों किया गया है, स्पष्ट करें।

आख्या/निराकरण:-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने पत्रांक:-703/406/09, दिनांक:-30-07-2020 से आपत्ति का निराकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया है कि पार्ट-I के पैरा-B1 में अंकित प्रस्ताव चम्बा-मसूरी फलपट्टी पम्पिंग योजना का प्रश्नगत प्रस्ताव से कोई सम्बन्ध नहीं है। चम्बा नगर (पुनर्गठन) पम्पिंग पेयजल योजना के प्रस्ताव को ऑनलाईन करते समय पार्ट-I के पैरा-B1 में यह जानकारी चाही गई थी कि पूर्व में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रदान की गई परियोजना का विवरण अंकित करें जिस कारण उनके (प्रयोक्ता अभिकरण-निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा) द्वारा पूर्व में स्वीकृति प्राप्त चम्बा-मसूरी फलपट्टी पम्पिंग योजना की जानकारी/सूचना अंकित की गई है, जबकि दोनों परियोजनाएँ एक दूसरे से भिन्न हैं।

अतः प्रकरण पर लगाई गई आपत्ति की आख्या/निराकरण सादर प्रेषित।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी